पत्र संख्या–ए/मु0–44–03/2016........................../

स्पीड पोस्ट/फैक्स

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

(18) आई0टी0 मु0उ0आ0

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
वैशाली (हाजीपुर)

पटना, दिनांक–.............फरवरी, 2016

विषय :– वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत अगरपुर में उग्र भीड़ द्वारा की गयी आगजनी की घटना में क्षतिग्रस्त मकान एवं परिसंपतियों के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–8960 दिनांक–30.09.2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पीड़ितों को भुगतान की राशि 19,80,000/– (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र के समायोजन हेतु जिला पदाधिकारी के पत्रांक–139/जिला सामान्य, हाजीपुर दिनांक–19.01.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को पूर्व में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को वर्त्तमान में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, वैशाली को कुल आबंटित राशि।
रू0 5,25,000/– (पांच लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र	रू0 19,80,000/– (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र	रू0 25,05,000/– (पचीस लाख पांच हजार रूपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि रू0 19,80,000/– (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या N2235602000004) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान मद के वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, वैशाली कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत अगरपुर में उग्र भीड़ द्वारा की गयी आगजनी की घटना में क्षतिग्रस्त मकान एवं परिसंपतियों के विरूद्ध पीड़ितों को समुचित पहचान कर ली गयी हैं। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वैशाली होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, वैशाली से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, वैशाली की होगी।

कृ0पृ0उ0

I Suresh Sec-A

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रिता को अनुग्रह–अनुदान/मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, वैशाली का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2015–16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2016........................../ पटना, दिनांक–.............. फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ पटना, दिनांक–................ फरवरी, 2016

स्पीड पोस्ट
फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली /वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2016........................../ पटना, दिनांक–............... फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–03/2016.....1083...................../ पटना, दिनांक–.....04.......... फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 04.02.16

सरकार के विशेष सचिव

3/4-2-16

? Suresh Sec-A